न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 194 / 2019—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

पीटर तिड़ू — विक्रेता

1. विनीत तोपनो वो 2. दादु होरो — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.08.20	**आदेश**	

आवेदक पीटर तिड़ू पिता स्व0 सन्तोष तिड़ू ग्राम—खूँटी टोली, थाना खूँटी जिला खूँटी ने 1. विनीत तोपनो पिता मतियस तोपनो ग्राम—खूँटी टोली थाना—खूँटी, जिला—खूँटी वो 2. दादु होरो पिता मंगरा होरो ग्राम—कदमा मैदान टोली, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी टोली	80	66	613	0.03

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0584990214 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 595 दिनांक 25.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 285 दिनांक 13.03.1965 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम सुन्दर मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार हितकारी तिड़ू के नाम भूमि का रकवा 0.35½ एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0. 17½ एकड़ भूमि के अलावा अन्य मौजा सारिकेल खाता सं0 25,53 रकबा 2.41 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.58½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019—20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 72473.00(बहतर हजार चार सौ तिहत्तर)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.55½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पीटर तिड़ू पिता स्व0 सन्तोष तिड़ू को 1. विनीत तोपनो पिता मतियस तोपनो वो 2. दादु होरो पिता मंगरा होरो के साथ ग्राम खूँटी टोली के खाता सं0 66 खेसरा संख्या 613 कुल रकबा 0.03 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 72473.00(बहतर हजार चार सौ तिहत्तर)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

05/08/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

05/8/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।